(7)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 16/2017–18

जीतन सिंह.....आवेदक

बनाम

परिमल मिर्धा.....विपक्षी

आदेश

यह रे0मि0 रिवीजन वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दुमका के मुटेशन अपील वाद सं0–04/1995–96 में पारित आदेश दिनांक–17.10.96 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के पिता द्वारा मौजा बेहराबॉक के जमाबंदी सं0–62 का लगान लेने हेतु अंचल कार्यालय दुमका में वाद सं0–11/92–93 दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी के आदेश के अनुसार प्रश्नगत जमाबंदी जमीन अभियुक्ति (Remarks) कॉलम में "चौकीदारी जागिर" दर्ज है। अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के पिता हारेन मिर्धा चौकीदार को उपरोक्त भूमि का लगान 6.40 (छः रूपये चालीस पैसे) अलावे अन्य सेस (वार्षिक) धार्य किया गया है। जो लगान 1956–57 से देय होगा। इस आदेश के विरूद्ध निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका) में मुटेशन अपील वाद सं0–04/1995–96 दायर किया गया, किन्तु इसे निम्न न्यायालय द्वारा यह कहकर खारीज कर दिया गया है कि अंचल अधिकारी द्वारा लगान धार्य किया गया है न कि नामांन्तरण किया गया है।

इस न्यायालय में भी आवेदक द्वारा मुटेशन से संबंधी रिवीजन वाद दायर किया है किन्तु निम्न न्यायालय के आदेशों से स्पष्ट है कि मामला मुटेशन से संबंधित नहीं है बल्कि लगान धार्य से संबंधित है। ऐसी स्थिति में इस वाद पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का आवेदन को खारिज किया जाता है।

(8)

आवेदक चाहे तो अपने दावे के संबंध में अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन दे सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:10:55 +05:30
Location: 169.254.227.244